(37)
3224

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1225] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2008/भाद्र 5, 1930
No. 1225] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2008/BHADRA 5, 1930

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2008

का.आ. 2116(अ).—अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. 451(अ) द्वारा तारीख 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन अंतर्राज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन कृष्णा जल विवाद अधिकरण से अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करें;

और, कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 2 अप्रैल, 2007 से बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 400(अ), तारीख 20 मार्च, 2007 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 2 अप्रैल, 2007 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था;

और, कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 2 अप्रैल, 2008 से एक वर्ष की और अवधि के लिए पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 441(अ), तारीख 3 मार्च, 2008 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 2 अप्रैल, 2008 से 6 मास की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था;

और, कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 2 अक्तूबर, 2008 से छः मास के लिए बढ़ाने का पुनः अनुरोध किया है;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अनुसार, अवधि को दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 2 अक्तूबर, 2008 से 6 मास की और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 17/1/2007-डब्ल्यू.एम.]

इन्द्र राज, आयुक्त (परियोजना)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2008

S.O. 2116(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal was constituted on 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E) under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State River Krishna, and river valley thereof;

And, whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on or before 1st April, 2007;

And, whereas, Krishna Water Disputes Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision with effect from 2nd April, 2007;

And, whereas, the Central Government *vide* notification number S.O. 400(E), dated the 20th March, 2007 had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 2nd April, 2007;

And, whereas, Krishna Water Disputes Tribunal again requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 2nd April, 2008;

And, whereas, the Central Government *vide* Notification number S.O. 414(E), dated 3rd March, 2008 had extended the period of submission of report and decision for a further period of six months with effect from 2nd April, 2008;

And, whereas, Krishna Water Disputes Tribunal again requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of six months with effect from 2nd October, 2008;

And, whereas, in accordance with proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act the Central Government may extend the period for a further period of not exceeding two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Krishna Water Disputes Tribunal for a further period of six months with effect from 2nd October, 2008.

[F. No. 17/1/2007-BM]

INDRA RAJ, Commissioner (Project)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.